

Disclaimer

“This is an automated (system-generated) translation provided for convenience. If there is any ambiguity or inconsistency between this translation and the English version of the document, the English version will prevail to the extent permitted by applicable law. If you need any clarification, please call our toll-free number [1800 572 3013] and we will assist you.”

अस्वीकरण

“यह सुविधा के लिए दिया गया एक ऑटोमेटेड (सिस्टम से बना) ट्रांसलेशन है। अगर इस ट्रांसलेशन और डॉक्यूमेंट के इंग्लिश वर्शन के बीच कोई कन्फ्यूजन या अंतर है, तो लागू कानून के तहत इंग्लिश वर्शन ही मान्य होगा। अगर आपको कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए, तो कृपया हमारे टोल-फ्री नंबर [1800 572 3013] पर कॉल करें और हम आपकी मदद करेंगे।”

Kshema Kisan Sathi Insurance Policy
UIN: IRDAN162RPCR0019V01202526
क्षेमा किसान साथी बीमा पॉलिसी

एफ. ए. क्यू.

1. क्षेमा किसान साथी बीमा पॉलिसी क्या है?

यह एक व्यापक बीमा पॉलिसी है जिसे बैंक ग्राहकों के लिए डिज़ाइन किया गया है जो किसान हैं, जिसमें फसल बीमा और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा शामिल हैं।

2. कवरेज क्या है। क्या मेरे पास कवरेज चुनने का विकल्प है?

क्षेमा किसान साथी बीमा पॉलिसी के दो भाग हैं।

भाग I: फसल बीमा

भाग II: व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा

हां, जब कोई ग्राहक फसल बीमा का विकल्प चुन रहा हो, तो व्यक्तिगत दुर्घटना के खिलाफ कवरेज अनिवार्य है। आपको दोनों कवरेज के तहत बीमा कराया जाना चाहिए।

3. पॉलिसी की अवधि क्या है?

पॉलिसी की अवधि उस दिन से शुरू होगी जब प्रीमियम का भुगतान किया जाता है या फसल की बुवाई की तारीख जो भी बाद में हो, फसल की बुवाई की तारीख से फसल की अवधि के अनुसार गणना की गई तारीख तक।

4. क्या यही पॉलिसी अवधि फसल बीमा और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा पर लागू होती है?

हां, चूंकि दोनों कवरेज एक ही पॉलिसी का हिस्सा हैं, इसलिए व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा भी शुरू और समाप्त होता है जैसा कि पॉलिसी अवधि में उल्लेख किया गया है।

5. बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने पर पॉलिसी की क्या स्थिति होगी?

फसल के लिए पॉलिसी कवरेज पॉलिसी अवधि की समाप्ति या फसल की कटाई, जो भी पहले हो, तक जारी रहता है।

6. यदि पॉलिसी समाप्त होने से पहले फसल की कटाई की जाती है तो व्यक्तिगत दुर्घटना के संबंध में पॉलिसी की स्थिति क्या होगी?

पी. ए. कवरेज पॉलिसी की समाप्ति तिथि तक जारी रहेगा।

7. क्या योगदान खंड इस पॉलिसी के तहत फसल बीमा पर लागू होता है?

हां, योगदान खंड लागू होगा। यदि एक ही कृषि भूमि पर एक ही फसल का एक से अधिक पॉलिसियों के तहत बीमा किया जाता है, और ऐसा नुकसान होता है जो दोनों पॉलिसियों द्वारा कवर किया जाता है, तो हम एक करोड़ रुपये का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे।

8. क्या योगदान खंड इस पॉलिसी के तहत व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा पर लागू होता है?
नहीं, अंशदान खंड लागू नहीं होगा।
9. इस पॉलिसी के तहत फसल बीमा के लिए बीमित राशि कैसे निर्धारित की जाती है?
बीमित राशि का निर्धारण बैंक द्वारा स्वीकृत फसल ऋण राशि की सीमा तक किया जाता है।
10. इस पॉलिसी के तहत व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा के लिए बीमित राशि क्या है?
फसल बीमा के लिए बैंक द्वारा स्वीकृत ऋण राशि व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा के तहत बीमित राशि है।
11. क्या मैं व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा के तहत अधिक बीमित राशि का विकल्प चुन सकता हूँ?
नहीं, बीमित राशि फसल ऋण राशि तक सीमित है।
12. इस पॉलिसी के तहत अतिरिक्त राशि क्या है?
भाग I के तहत: फसल (₹500 प्रति दावा)।
भाग II के अंतर्गत: शून्य
13. इस पॉलिसी के तहत प्रतीक्षा अवधि क्या है?
भाग I के तहत: फसल बीमा के लिए, पॉलिसी शुरू होने की तारीख से पहले 7 दिन।
भाग II के अंतर्गत: शून्य
14. क्या फसल कटाई के बाद के नुकसान पॉलिसी के भाग I के अंतर्गत आते हैं?
नहीं, फसल कटाई के बाद के नुकसान पॉलिसी के भाग I के तहत कवर नहीं किए जाते हैं क्योंकि यह एक अपवर्जन है।
15. इस पॉलिसी के तहत व्यक्तिगत दुर्घटना सुरक्षा के लिए पात्र आयु क्या है?
18 से 70 वर्ष की आयु के किसान पी. ए. सुरक्षा के पात्र हैं।
16. पॉलिसी के भाग I के तहत कौन से खतरे शामिल हैं?
चक्रवात, भूकंप, बिजली गिरने के कारण आग, बाढ़, ओलावृष्टि, बाढ़ (हाइड्रोफिलिक फसलों को छोड़कर), भूस्खलन, सुनामी और जानवरों के हमलों (केवल पॉलिसी राशि के अधिकतम 25 प्रतिशत की बीमित राशि के लिए)
17. व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा क्या कवर करता है?
अचानक, हिंसक और बाहरी घटना के परिणामस्वरूप आकस्मिक मृत्यु।
18. फसल बीमा के तहत दावे के लिए किन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है?

हानि या क्षति समाप्त होने तक प्रत्येक वैकल्पिक दिन क्षेमा ऐप के माध्यम से हानि या क्षति की तस्वीरें/वीडियो।

19. व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा के तहत दावे के लिए किन-किन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है?

- उचित रूप से भरा हुआ दावा प्रपत्र।
- आपका फोटो पहचान प्रमाण
- मृत्यु प्रमाणपत्र
- साँप के काटने/जहर के मामले में विसरा परीक्षण।
- पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट (यदि की जाती है)।
- नामांकित व्यक्ति या मूल उत्तराधिकार प्रमाण पत्र/मूल कानूनी उत्तराधिकारी का पहचान प्रमाण।
- एफ. आई. आर./आरोप पत्र और अंतिम रिपोर्ट/पंचनामा/पुलिस पूछताछ रिपोर्ट (जहां दुर्घटना की परिस्थिति के अनुसार इन रिपोर्टों की आवश्यकता होती है) की प्रति संबंधित पुलिस स्टेशन द्वारा विधिवत सत्यापित की जाती है।
- संबंधित अस्पताल द्वारा विधिवत सत्यापित मेडिको कानूनी प्रमाण पत्र की प्रति (जहां भी दुर्घटना की परिस्थिति के अनुसार इसकी आवश्यकता होती है)।
- दावे के मूल्यांकन के लिए हमारे द्वारा आवश्यक कोई अन्य प्रासंगिक दस्तावेज।

20. क्या मैं अपनी पॉलिसी रद्द कर सकता हूँ?

हां, आप हमें लिखित रूप में सूचित करके अवधि के दौरान किसी भी समय पॉलिसी को रद्द कर सकते हैं।

21. क्या बीमा कंपनी मेरी पॉलिसी रद्द कर सकती है?

हां, हम पॉलिसी धारक को न्यूनतम 7 दिनों का नोटिस देकर केवल स्थापित धोखाधड़ी के आधार पर पॉलिसी को रद्द कर सकते हैं।

22. रद्द होने की स्थिति में मेरे प्रीमियम का कितना हिस्सा वापस कर दिया जाएगा?

- न खत्म हुई पॉलिसी अवधि के अनुपात में धनवापसी करें।
- "दावे के मामले में, धनवापसी की अनुमति नहीं है।"

23. क्या मैं पॉलिसी जारी होने के बाद बुवाई की तारीख बदल सकता हूँ?

हां, बुवाई की तारीख में केवल एक बार बदलाव की अनुमति है।

24. क्या पॉलिसी जारी होने के बाद मैं फसल बदल सकता हूँ?

नहीं, फसल परिवर्तन की अनुमति नहीं है।

25. 72-घंटे का खंड क्या है?

नुकसान होने की घटना की शुरुआत से शुरू होने वाले लगातार 72 घंटों की अवधि के दौरान बीमित संकटों में से एक या अधिक से उत्पन्न होने वाले फसल के किसी भी नुकसान या क्षति को एकल ई के रूप में माना जाएगा।

26. मुआवजे की गणना कैसे की जाती है?

क्षतिपूर्ति = बीमित राशि x फसल के चरण के अनुरूप क्षतिपूर्ति प्रतिशत x प्रभावित बीमित क्षेत्र की सीमा x हानि प्रतिशत x क्षतिपूर्ति प्रतिशत-अधिक/कटौती योग्य।

27. हानि का आकलन कैसे किया जाता है?

दावे का पता लगाने और नुकसान का आकलन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट इमेज/फोटो/वीडियो के माध्यम से किया जाएगा, जो इनहाउस विकसित एल्गोरिदम का उपयोग करके क्षेमा एप्लिकेशन के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा।

28. मैं दावा कैसे करूँ?

क्षेमा एप्लिकेशन के माध्यम से घटना होने के 24 घंटे के बाद अपनी पॉलिसी विवरण के साथ नुकसान की जानकारी दें या आप हमारी कॉल-सेंटर टीम टी: + 91 40 2340 9918 पर कॉल कर सकते हैं या ग्राहक को ईमेल कर सकते हैं।

29. क्या पॉलिसी का नवीनीकरण किया जा सकता है?

चूंकि, फसल की अवधि समाप्त हो जाती है, इसलिए आप नए मौसम के लिए एक और नई नीति ले सकते हैं।

30. क्या मेरी पॉलिसी बैंक के लिए काल्पनिक है?

हां, यदि आपने बैंक से ऋण प्राप्त किया है तो आपकी पॉलिसी बैंक को दी जाती है।

31. क्या मुझे सीधे दावे की राशि का भुगतान किया जाएगा?

नहीं, जिस किसान ने ऋण प्राप्त किया है, उसके मामले में दावे की राशि आपके ऋण खाते में जमा कर दी जाएगी और ऋण से अधिक की कोई भी राशि आपको भुगतान कर दी जाएगी।

32. मेरी मृत्यु के मामले में दावे की राशि किसे मिलेगी?

ऋण के साथ समायोजन करने के बाद दावे की राशि का भुगतान आपके नामांकित व्यक्ति को किया जाएगा।